

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य- दिनांक- 06-03-2021

धर्म विशेष के विरुद्ध व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर, धर्म ग्रन्थ के लिये अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को थाना मिर्जापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोबाइल सहित सिम कार्ड बरामदा

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध कारित करने वालों, कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वालों तथा किसी धर्म अथवा समुदाय के विरुद्ध अभद्र अशोभनीय या भडकाऊ पोस्ट आदि डालकर जनमानस की भावनाओं को आहत करने वाली पोस्टों को डालने वालों पर सोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स पर विशेष निगरानी रखकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार वाजपेई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में प्रभारी सोशल मीडिया सेल , साइबर सेल सहित समस्त प्रभारी निरीक्षकों/ थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 05.03.21 को श्री तहसीन पुत्र जमील अहमद नि0 उदयपुर भूडा थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर द्वारा थाना मिर्जापुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.02.21 को सत्येन्द्र सिंह पुत्र मेवाराम निवासी उदयपुर भूडा थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर द्वारा हमारे धर्म के खिलाफ एवं धर्मग्रन्थ के लिये व्हाट्सएप पर अभद्र अशोभनीय एवं गलत टिप्पणी एवं वीडियो बनाकर डाला गया है, जिससे धर्म विशेष के लोगों की भावनाये आहत हुई है, तहरीरी सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 65/2021 वनाम सत्येन्द्र उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 06.03.21 को श्री मान बहादुर सिंह प्रभारी थाना मिर्जापुर मय पुलिस बल के थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत अ0सं0 65/21 की विवेचना गहनता से करने के मध्य तथ्यों की सत्यता को आधार पर जब थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व तलाश वाँछित अपराधी/अभियुक्त की तलाश में मामूर थी कि मुखविर खास की सूचना पर सत्येन्द्र सिंह पुत्र मेवाराम को ढाई चौराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में दिये गये तथ्यों से सम्बन्धित मोबाइल रेडमी 7 ए तथा 01 सिम कार्ड बरामद किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सत्येन्द्र सिंह पुत्र मेवाराम निवासी उदयपुर भूडा थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 - 65/2021 धारा 153-A IPC व 66(A) IT ACT

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद मोबाईल रेडमी 7A (IMEI NO. 862082041301362 व 862082041301370)

2- 01 अदद सिम कार्ड (नं0 6394891104)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण: -

1-उ0नि0 रामकिशोर सिंह

2-का0 2015 राहुल चौधरी

3-का0 1961 जुबैर खान

4-चालक का0 1748 कृष्णकान्त शर्मा